

झारखंड सरकार
जल संसाधन विभाग।

शुद्धि पत्र सं.-3/PMC (जाँच)-207/2014:-...../राँची, दिनांक:-.....

शुद्धि पत्र

विभागीय आदेश सं.-6430 दिनांक-30.10.13 द्वारा लोहरदगा जिला के किस्को प्रखंड के किस्को नाला पर बन रहे श्रृंखलाबद्ध चेकडैम के स्थल चयन में बरती गयी अनियमितता के लिए विभाग द्वारा सरकारी राजस्व की क्षति की वसूली संबंधित अभियंताओं से किए जाने का निर्णय संसूचित किया गया। उक्त आदेश में निम्नवत् संशोधन किया जाता है-

आदेश सं.-6430 दिनांक-30.10.13 के क्रमांक-03, 04, 05, 06 में अंकित कनीय अभियंताओं के नाम क्रमशः श्री मिथिलेश सिंह के स्थान पर **"श्री मिथिलेश कुमार सिंह"**, श्री धनेश कुमार पाण्डेय के स्थान पर **"श्री धनेश पाण्डेय"**, श्री के० सी० राय के स्थान पर **"श्री के० पी० राय"** एवं श्री सदानंद सिंह के स्थान पर **"श्री सच्चिदानंद सिंह"** पढ़ा जाय।

उक्त आदेश को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

आदेश की शेष कंडिकाएँ पूर्ववत् रहेंगी।

H0/-

(डॉ.लम्बोदर महतो)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-

/राँची, दिनांक:-

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, झारखंड, राँची/ उप सचिव, वित्त (वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, झारखंड, राँची/ सभी मुख्य अभियंता (लघु सिंचाई सहित)/ सभी अधीक्षण अभियंता एवं सभी कार्यपालक अभियंता/ श्री मिथिलेश कुमार सिंह/ श्री के० पी० राय/ श्री सच्चिदानंद सिंह सभी कनीय अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल लोहरदगा/ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

H0/-

(डॉ.लम्बोदर महतो)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-

/राँची, दिनांक:-

प्रतिलिपि:-अभियंता प्रमुख-II/ मुख्य अभियंता (मो.)/ संयुक्त सचिव(प्र.) जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

H0/-

(डॉ.लम्बोदर महतो)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-

2590

/राँची, दिनांक:-

12-8-14

प्रतिलिपि:-श्री मनोज कुमार, अवर सचिव(प्र.), जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची को उनके गै.स.प्रे.सं.-03/विविध-07-229/2014-5890 दिनांक-09.06.14 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि उपर्युक्त अंकित तीनों कनीय अभियंताओं की वर्तमान पदस्थापन / स्थिति की सूचना 4(चार) दिनों के अन्दर प्रशाखा-8 को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

(डॉ.लम्बोदर महतो)

सरकार के अवर सचिव।

96 11/11/14